न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 03 / 2016 / जैसलमेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
राजस्थान सराकर जरिये	बनाम 1.श्रीमती रहीमों पत्नी सुमार खां
तहसीलदार फतेहगढ	2.शाह मोहम्मद पुत्र सुमार खां जाति
जिला जैसलमेर	मुसलमान निवासी देवीकोट तहसील
	फतेहगढ़ जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 11 / 2013 वनवान श्रीमती रहीमों वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09. 2014 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हरीराम चौधरी राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 27.07.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम देवीकोट के खसरा संख्या 508 रकबा 19.11 बीघा, खसरा संख्या 509 रकबा 17.04 बीघा व खसरा संख्या 510 रकबा 09.05 बीघा कुल रकबा 46 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांअस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 30.09.2014 को अपास्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। राजकीय अभिभाषक की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि हस्तगत वाद में जिला कलक्टर को 80 सी पी सी का नोटिस दिया जाना अनिवार्य था, बावजूद वादी द्वारा धारा 80 सी पी सी का नोटिस नहीं दिया गया। वादी एडवर्सपजेसन के आधार दावा लाया है जो प्रतिपादित प्रावधानों से विधि से वर्जन की मात्रा कानूनी प्रश्न को निर्णय किये जाने के कानूनी, विधिक प्रावधानों से अनिवार्य होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना, कानूनी प्रश्न पर गौर किये व किसी साक्ष्य के विस्तृत व समुचित परीक्षण किये व निष्कर्ष अंकित किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि समरी खसरा संख्या 179 से अन्य कोई खसरा वर्तमान बंदोबस्त में कायम हुआ हो ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर दस्तावेज रूप में नहीं है, इसलिए इससे पृथक किसी अन्य खसरा संख्या की भूमि पर रेस्पोडेंट/वादी दावा लाने के अधिकारी ही नहीं है। दावा मनगढंत है। दावाकृत खसरों का कोई साम्य नहीं है। तत्पश्चात दावाकृत भूमि पर किसी वादीगण/रेस्पोडेंट का कोई कब्जा काश्त बाबत अभिलेखीय सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है। बिना कब्जा काश्त के खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई आधार नहीं है। इसी प्रकार पत्रावली में वादीपक्ष की गवाह के रूप में उनड़ खां पुत्र श्री धोधेखां ने जिरह में स्वीकार किया है कि खसरों की जानकारी नहीं है। हस्तगत वाद में वादीगण द्वारा अपने पक्ष में पेश सभी गवाह 63 वर्ष की आयु से कम है जिनकों वक्त सेटलमेंट की घटनाओं का ज्ञान भी नहीं है। प्रतिवादी पक्ष के रूप में केवल प्रागदान पटवारी के बयान तथा जिरह अंकित हैं जिसमें प्रतिवादी के पक्ष में सारे

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तथ्य बताये गये। गवाहों द्वारा वाद पत्र के संबंध में किये गए कथनों के समर्थन में किसी भी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं हुए है इसलिए पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजी अभिलेख बिना प्रदर्श के ग्राह्य ही नहीं है प्रतिवादी/अपीलांट सरकार के गवाह पटवारी प्रागदान के बयानों पर भी गौर नहीं हुआ है। इसमें इस दावे के बाबत कोई सारभूत कथन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने के लिए एक सुनियोजित तरीके से राजकीय भूमि की बंदरबांट करने के लिए हस्तगत वाद तैयार किया गया प्रतीत होता है। बिना पुष्ट प्रमाणों के रेस्पोडेंट/वादीगण का दावाकृत भूमि पर दावे का कोई आधार नहीं है न ही उसका दावाकृत भूमि पर अनवरत कब्जा काश्त ही सिद्ध है लिहाजा अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 11/2013 वनवान श्रीमती रहीमों वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2014 को अपास्त किया जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर